

प्राक्कथन

यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को प्रस्तुत किये जाने के लिए तैयार किया गया है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) के इस प्रतिवेदन में 2016-17 से 2021-22 की अवधि को आच्छादित करते हुए 'केन्द्रीय सड़क निधि के उपयोग' पर निष्पादन लेखापरीक्षा के परिणाम सम्मिलित हैं।

यह लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा निर्गत लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप सम्पादित की गई है।